

22-8-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उमरिधत प्रकरण
से पत्थरगढी रियोर्ट के अनुसार न्यायालय श्रीमान
उच्च न्यायालय जोधपुर स्वगन आदेश अपील सं
462/2023 के तहत प्रभावी होने से पत्थरगढी की
कार्यवाही नहीं कि जा सकी है, आ.स. 653/423
क्रमा 0.73 है. भूमि पर उच्च न्यायालय जोधपुर का
स्वगन होने से पत्थरगढी प्रार्थी का प्रा.पत्र खारीज
किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से काम हो।

JK